~~SECURITY COUNCIL~~

Dr. Khalid Hussain
Paper- VIII

# Security Council – Composition & Powers
## (सुरक्षा परिषद – संगठन एवं अधिकार)

United Nations के 6 प्रधान अंगों में सुरक्षा परिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। UNO के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का प्राथमिक दायित्व (Primary Responsibility) सुरक्षा परिषद को ही सौंपा गया है। शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के कार्य के लिए इसे व्यापक शक्तियाँ charter (चार्टर) द्वारा प्रदान की गई हैं। साथ ही साथ, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए सदस्य-राज्यों ने इसके निर्णयों को स्वीकार करने तथा उन्हें लागू करने के दायित्व को भी स्वीकार किया है।

संगठन:- यूरोपीय व्यवस्था (Concert of Europe) तथा League Council (राष्ट्रसंघ की परिषद) की भांति महान शक्तियों का निकाय है। (Big Power Organ) है। पाँच महान राष्ट्र — USA, Russia, Britain, France तथा China सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। गैर स्थायी सदस्यों की संख्या 1965 में चार्टर के प्रथम संशोधन द्वारा 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है। गैर-स्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है।

चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद की मतदान प्रणाली का उल्लेख है। प्रत्येक सदस्य राज्य को एक मत देने का अधिकार है। किसी प्रक्रियात्मक विषय पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए आवश्यक 9 स्वीकारात्मक मतों में 5 स्थायी सदस्यों के मत भी होने चाहिए। ऐसे मामलों में एक स्थायी सदस्य का नकारात्मक मत भी सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों के मत को व्यर्थ कर सकता है। ऐसे नकारात्मक मत को सामान्यतः Veto Power (निषेधाधिकार) के नाम से जाना जाता है।

Scanned with CamScanner

(Powers & functions)

सुरक्षा परिषद के कार्यों एवं अधिकारों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है:-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग।

(iii) निर्वाचनात्मक एवं निरीक्षणात्मक कार्य

(i.) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान:- Charter के छठे अध्याय (Chapter VI) में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चार्टर की धारा 35 में यह कहा गया है कि विवाद के पक्ष सुरक्षा परिषद के समक्ष आने से पहले वार्तालाप, जाँच पड़ताल, मध्यस्थता, पंचनिर्णय, न्यायिक निर्णय तथा अन्य शांतिपूर्ण उपायों का सहारा लेंगे। स्वयं सुरक्षा परिषद भी विवाद के किसी भी चरण में शांतिपूर्ण समाधान के सम्बन्ध में अपना विचार दे सकती है। चार्टर में यह व्यवस्था की गई है कि यदि विवाद के पक्ष अपनी पसंद के समाधान नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में वे इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट देंगे। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा परिषद को किसी भी विवाद एवं परिस्थिति की जाँच करने का अधिकार है यदि उस विवाद या परिस्थिति से अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा उपस्थित होने का खतरा हो।

(ii.) अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए दण्ड व्यवस्था का अधिकार:- Charter का अध्याय VII (Chapter VII) शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की आदेशात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित है। इस अध्याय का शीर्षक है, "शांति को खतरा, शांति भंग तथा आक्रामक कार्यवाही के सम्बन्ध में कार्यवाही"। चार्टर की धारा 39 द्वारा केवल सुरक्षा परिषद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को उपस्थित खतरा तथा आक्रमण की कार्यवाही का निर्णय करे और इसके बाद यह सिफारिश करे या तय करे कि शांति एवं सुरक्षा को

Scanned with CamScanner

बनाए रखने के लिए कौन से प्रभावशाली कदम उठाये जाएँ। इस उद्देश्य के लिए युद्ध विराम, संघर्ष क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय शांति सेना भेजने तथा आक्रमण की कार्यवाही को बंद करने से संबंधित आदेश सम्मिलित हैं।

Charter की धारा 39 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद् किसी राष्ट्र को शांति भंग या आक्रमण की कार्यवाही को दोषी घोषित करके उसके विरुद्ध आर्थिक दण्ड व्यवस्था सैनिक दण्ड व्यवस्था, राजनयिक सम्बंध विच्छेद तथा रेल, समुद्र, वायु, डाकतार, रेडियो आदि संचार संपर्क के विच्छेद का आदेश दे सकती है। इन कार्यवाहियों में आर्थिक दण्ड व्यवस्था तथा सैनिक दण्ड व्यवस्था सम्बंधी सुरक्षा परिषद् के अधिकार को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्थिक एवं सैनिक दण्ड व्यवस्था को सफल बनाने के लिए सदस्य राज्यों से आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है और उनका यह कर्तव्य है कि ऐसी दण्ड व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद् के साथ सहयोग करें।

निर्वाचनात्मक एवं निरीक्षणात्मक कार्य:- सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर से महासभा नए राज्यों को UNO की सदस्यता प्रदान करने का प्रस्ताव पारित करती है। उसी प्रकार सदस्य राज्य के निष्कासन के लिए भी सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। न्यास परिषद् (Trusteeship Council) तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) के सदस्यों तथा जजों के निर्वाचन में महासभा के साथ सुरक्षा परिषद् भी भाग लेती है। इसके अतिरिक्त शस्त्रास्त्र के नियमन के लिए सुरक्षा परिषद् तैयार करती है

Drafts तथा Conventions

न्यास प्रणाली के अन्तर्गत सामरिक महत्व के क्षेत्रों के प्रशासन के निरीक्षण का अधिकार (Security council) को है।

मूल्यांकन:- Security Council के कार्यों एवं अधिकारों के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के सम्बन्ध में इसे व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु [illegible] [illegible] कार्यकलाप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की

Scanned with CamScanner

के रूप में प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों बीच सहमति हो। UNO के कार्यकरण की एक लम्बी अवधि में महान राष्ट्रों, विशेष रूप से शीत युद्ध के काल में USA तथा पूर्व सोवियत संघ के बीच पारस्परिक सहमति का अभाव रहा। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका। शुरू में सोवियत संघ ने और आगे चलकर अमेरिका, ब्रिटेन, तथा फ्रांस ने सुरक्षा परिषद के कार्यकरण को बाधित किया। NATO, SEATO तथा Warsaw Pact जैसे सैनिक संगठनों ने भी सुरक्षा परिषद की भूमिका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ऐसी स्थिति में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि UNO के 50 वर्षों के कार्यकाल में केवल दो बार सुरक्षा परिषद ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए सैनिक दण्ड व्यवस्था का सहारा लिया — 1950 में उत्तरी कोरिया के विरुद्ध तथा 1990-91 के खाड़ी संकट के समय इराक के विरुद्ध।

1990 वाले दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के चलते सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच निश्चित रूप से पारस्परिक सहयोग एवं सहमति में वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदले हुए वातावरण में सुरक्षा परिषद पहले से एक आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की राह।

यह ध्यान योग्य है कि यद्यपि आक्रमण की कार्यवाही तथा शांति भंग की स्थिति में आर्थिक तथा सैनिक दण्ड व्यवस्था का प्रयोग अधिक नहीं किया है, फिर भी 1960 वाले दशक में तनाव शैथिल्य (Detente) की प्रक्रिया के शुरू होने के बाद Peace-Keeping operations (शांति स्थापना संबंधी प्रक्रिया) के माध्यम से सुरक्षा परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1960 में कांगो के संकट के समय से लेकर 1990 वाले दशक तक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में संकट की स्थिति में Peace-Keeping operations के माध्यम से सुरक्षा-परिषद ने शांति स्थापित करने की कोशिश की है। वास्तव में Peace-keeping operations के माध्यम से सुरक्षा परिषद द्वारा शांति स्थापना के प्रयास इस बात का भी प्रमाण है कि इसने बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपनी भूमिका का सामंजस्य स्थापित किया है। P.S अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बदली हुई परिस्थितियों में इसकी सक्रियता बढ़ी है और शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में इसके द्वारा और अधिक प्रभावशाली भूमिका के निर्वाह की संभावना बढ़ी है। परन्तु 1990-91 के खाड़ी संकट के समय से लेकर आज तक विशेष रूप से अमेरिका के हितों को पूरा करने के लिए इसका जिस तरह प्रयोग किया है, इसके चलते एक निष्पक्ष निकाय के रूप में सुरक्षा परिषद के बने रहने की संभावना पर शक व्यक्त किया जाने लगा है और तीसरी दुनिया के देशों का इसपर से विश्वास हटता प्रतीत होता है।

Scanned with CamScanner